न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस

मुकदमा न0 राजस्व प्रकरण 36/2023

प्रार्थीगण :–

1. भीखाराम पुत्र जीवणलाल जाति ब्राहम्ण निवासी पाटोदी
2. मोहनलाल पुत्र भीखाराम जाति ब्राहम्ण निवासी पाटोदी
3. तरूणकुमार पुत्र भीखाराम ब्राहम्ण निवासी पाटोदी तहसील पचपदरा जिला बाडमेर।

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. पूनम सिंह पुत्र खीमसिह पुरोहित नि. गुन्दावाडी
2. अनीदेवी पत्नी किशनसिह पुराहित नि. कोड़ुका
3. उदाराम पुत्र सोनाराम
4. कानाराम पुत्र खीमाराम
5. गिरधारी पुत्र मिसराराम
6. घेवर पुत्र सोनाराम
7. चम्पाराम पुत्र रूपाराम
8. जोगाराम पुत्र भीमाराम
9. बांडाराम पुत्र भीमाराम
10. हिमताराम पुत्र रूपाराम जाति प्रजापत निवासी भाकरसर
11. कानसिंह पुत्र हेमसिंह
12. नगसिंह पुत्र मुकनसिंह
13. नारायणसिंह पुत्र मुकनसिंह
14. शंकरसिंह पुत्र मुकनसिंह
15. श्रवणसिंह पुत्र हेमसिंह
16. सकु कंवर पत्नी गुमानसिंह सभी जातियान पुरोहित नि. भाकरसर
17. किशनसिंह पुत्र लालसिंह
18. गोपसिंह पुत्र लालसिंह
19. दलपतसिंह पुत्र लालसिंह
20. दीपसिंह पुत्र लालसिंह
21. बाबुसिंह पुत्र लालसिंह
22. मदनसिंह पुत्र लालसिंह
23. हडमानसिंह पुत्र लालसिंह सभी जायिान पुरोहित नि. पाटोदी
24. उकादास पुत्र केसुदास
25. गौतमदास पुत्र मांगीलाल
26. छगनदास पुत्र बालकदास
27. जगदीशदास पुत्र लालदास
28. धर्मदास पुत्र जेठुदास
29. जितेन्द्रदास पुत्र मांगीलाल
30. दिनेशदास पुत्र मांगीलाल
31. बजरंगदास पुत्र बालकदास
32. भेरूदास पुत्र लालदास

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.04.17 21:08:21 IST
Reason: SelfAttested

4.4.2023

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

33. मोहनदास पुत्र लालदास
34. राजेश पुत्र रामचन्द
35. लूणदास पुत्र लाभूराम
36. श्यामदास पुत्र रामचन्द्र
37. श्रवणदास पुत्र रामचन्द्र
38. बुधदास पुत्र सेवाराम
39. सुमेरदास पुत्र सेवाराम सभी जातियान साद नि. पाटोदी
40. भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा0भू रा0 अधि0 बाबत पत्थरगढी व नेखमबंदी करवाने हेतु

उपस्थित :–

01. श्री अचलाराम थोरी , प्रार्थी अधिवक्ता
02. विप्रार्थी संख्या 1 से 39 एक पक्षीय

'आदेश दिनांक :– 04.4.2023

संक्षेप मे आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत सरहद मौजा आदमपुरा पटवार क्षेत्र रिछोली तहसील पचपदरा में खसरा संख्या 407/60 रकबा 4.5325 हैक्टयर किस्म बा. दोयम, खसरा संख्या 406/60 रकबा 2.2743 हैक्टयर किस्म बा.दो. खसरा संख्या 408/60 रकबा2. 2743 हेक्टेयर अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है ।

प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया । विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया । विप्रार्थी संख्या 1 से 39 के नोटिस तामील षुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी संख्या 1 से 39 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी असालतन या वकालतन हाजिर नही होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गया। वक[illegible] को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि ग्राम मौ[illegible]जा आदमपुरा पटवार क्षेत्र रिछोली तहसील पचपद[illegible] 4.5325 हैक्टयर किस्म बा. दोयम, खसरा संख्[illegible] हैक्टयर किस्म बा.दो. खसरा संख्या 408/60 रकबा2.2743 हेक्टेयर अवस्थित अ[illegible]ई है । जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काष्त चला आ रहा है, प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी संख्या 1 से 39 की भूमि आई हुई है, वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थी संख्या 1 से 19 द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.04.17 21:08:21 IST
Reason: SelfAttested

विवेकव्यास 4.4.2023
उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

का प्रयास करते रहते है, और प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है , और आये दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है, इस कारण प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा मौजा मुमकिन मौजा आदमपुरा पटवार क्षेत्र रिछोली तहसील पचपदरा में खसरा संख्या 407/60 रकबा 4.5325 हैक्टयर किस्म बा. दोयम, खसरा संख्या 406/60 रकबा 2.2743 हैक्टयर किस्म बा.दो. खसरा संख्या 408/60 रकबा2.2743 हेक्टेयर अवस्थित भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे ।

हमने वकील प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात सीमाज्ञान फर्द का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया । जिसमे पाया कि मौजा मुमकिन मौजा आदमपुरा पटवार क्षेत्र रिछोली तहसील पचपदरा में खसरा संख्या 407/60 रकबा 4.5325 हैक्टयर किस्म बा. दोयम, खसरा संख्या 406/60 रकबा 2.2743 हैक्टयर किस्म अवस्थित भूमि प्रार्थी की खातेदारी मे दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न जमाबंदी नकल की संवत 2079–2082 व नक्षा ट्रेस का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है, और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसका प्रार्थी हकदार भी है । विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 39 को बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नही हुए है। प्रार्थीगण ने तहसीलदार से सीमाज्ञान का आदेश लेकर दिनांक 3/01/2023 को सीमाज्ञान भी करवाया , ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है । लिहाजा प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा मुमकिन मौजा आदमपुरा पटवार क्षेत्र रिछोली तहसील पचपदरा में खसरा संख्या 407/60 रकबा 4.5325 हैक्टयर किस्म बा. दोयम, खसरा संख्या 406/60 रकबा 2.2743 हैक्टयर किस्म बा.दो. खसरा संख्या 408/60 रकबा2.2743 हेक्टेयर अवस्थित भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबदी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को कमिष्नर नियुक्त किया जता है, उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 से 39 को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक निष्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे । कमिश्नर फीस 500/– प्रार्थी मौके पर अदा करेगे। आवष्यकता होने पर पुलिस ईमदाद प्राप्त कर सकते है पालना रिपोर्ट पेश होने पर तामिल मिसल हो ।

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आज दिनांक 04.04. 2023 को आदेश खुले न्यायालय में सुनाया

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.04.17 21:08:21 IST
Reason: SelfAttested